न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 09/2025 G.C.M.S. No. 2025/24 दर्ज दिनांक : 30.01.2025

अपीलार्थिगण:

1. अमरसिंह पुत्र खुमसिंह जी उम्र वयस्क,
2. लक्ष्मणसिंह पुत्र खुमसिंह जी उम्र वयस्क,
3. श्रीमती मंजूदेवी पुत्री खुमसिंह जी उम्र वयस्क,
   समस्त जातिगण पुरोहित निवासीगण बसंत तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. श्रीमती गुलाबदेवी पत्नी भंवरसिंह जी उम्र वयस्क,
2. नारायणसिंह पुत्र लालुजी उम्र वयस्क,
3. बाबुसिंह पुत्र लालुजी उम्र वयस्क,
   जातिगण पुरोहित निवासीगण बसंत तहसील सुमेरपुर जिला पाली।
4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 72/2023 बअनवान श्रीमती गुलाबदेवी बनाम अमरसिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2024

पैरोकार:–

1. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, श्री प्रवीण व्यास, श्री नरेन्द्र चौधरी विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री श्यामसिंह सोंलकी, श्री नारायणलाल कुमावत विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय दिनांक: 15.10.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 72/2023 बअनवान श्रीमती गुलाबदेवी बनाम अमरसिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट्स संख्या 1 की ओर से अपीलांट्स एवं शेष रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम बसंत के खसरा नम्बर 948 रकबा 0.3600 हैक्टयर, खसरा नम्बर 949 रकबा 0.7000 हैक्टयर कुल रकबा 1.0800 हैक्टयर कृषि भूमि रेस्पोडेंट्स संख्या 1 के खातेदारी की स्थित हैं जिसके उत्तर दिशा की तरफ अपीलार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 945 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

0.6800 हैक्टयर व रेस्पोडेंट्स संख्या 2 व 3 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 950 रकबा 0.6900 हैक्टयर स्थित हैं, खसरा नम्बर 942 रकबा 0.300 हैक्टयर किस्म गैर मुमकीन, खसरा नम्बर 943 रकबा 0.1300 हैक्टयर किस्म गैर मुमकीन, खसरा नम्बर 944 रकबा 0.1400 हैक्टयर किस्म गैर मुमकीन बेरा स्थित हैं जो रेस्पोडेंट्स व अपीलाण्ट्स के संयुक्त खातेदारी की हैं जिसमें रेस्पोडेंट्स संख्या 1 का 1/4 हिस्सा निहित है संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 942, 943, 944 में से गांव के खेतों मे जाने हेतु रास्ते उपलब्ध हैं, संयुक्त खातेदारी भूमि मे उपलब्ध रास्ते से होते हुए अपीलार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 945 के पूर्वी माठ के सहारे सहारे होते हुए खसरा नम्बर 950 जो रेस्पोडेंट्स संख्या 2 व 3 के खातेदारी की हैं के पूर्वी माठ के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 के खेत के खसरा नम्बर 948 व 949 में जाने के लिए निकटतम रास्ता है उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं आवेदन के साथ नजरी नक्शा पेश किया एवं उक्त नजरी नक्शा अनुसार रास्ता दिलाया जाने हेतु निवेदन किया, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया अपीलार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर अपीलार्थीगण को जवाब साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर पेश आवेदन व नजरी नक्शा के विपरीत अपीलार्थीगण के खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 952 में से विधि विरुद्ध तरीके से रास्ते का आदेश पारित कर दिया, जिसमें विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 28.3.2024 व 14.5.2024 में रजिस्टर्ड ए.डी से नोटिस भेजने के आदेश दिये थे उक्त आदेश के बाद नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजने थे लेकिन अपीलार्थीगण पर जो नोटिस तामील बताये हैं वह रजिस्टर्ड डाक से नहीं भेजे गए हैं साधारण नोटिस द्वारा तामील बतायी है सभी नोटिसों की पुष्ठ पर एक समान ही चस्पा करने की रिपोर्ट कर दो मोतबीर के हस्ताक्षर करवाए उन मोतबीरों की वल्दीयत सकूनत कुछ भी अंकित नहीं की हैं, नोटिसों को देखने से स्पष्टतया प्रकट हैं की कार्यालय में बैठकर नोटिसों की पुष्ठ पर गलत रिपोर्ट दर्ज की है अपीलाण्ट्स को कभी भी नोटिस तामील नही करवाए है साथ ही अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 3 अपनी खातेदारी कृषि भूमि 945, 950, 949 एवं 952 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 261 गैर मुमकीन रास्ते से होकर खसरा नम्बर 942 से खसरा नम्बर 943 के पूर्वी माठ के सहारे सहारे होते हुए खसरा नम्बर 944 के दक्षिण माठ के सहारे सहारे होते हुए खसरा नम्बर 945 से होकर खसरा नम्बर 950 से होकर खसरा नम्बर 949 एवं 952 में आते व जाते हैं एवं उक्त रास्ते का ही पीढ़ियों से उपयोग उपभोग कर रहे हैं अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 942, 943 व 944 में सामलात रास्ता छोड़ा हुआ हैं उक्त रास्ते से ही अपनी-अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 950, 949 व 952 में आते जाते हैं रेस्पोडेंट्स संख्या 1 ने अपने आवेदन एवं प्रस्तावित रास्ते के नजरी नक्शों में भी उपरोक्त रास्ते को ही दर्शाया हैं खसरा नम्बर 945 एवं 950 में से 949 में जाने हेतु रास्ते की मांग की हैं किन्तु आर.आई. की रिपोर्ट में खसरा नम्बर 944 से 950 में जो एचबी मार्क अंकित किए हैं वह गलत है क्योंकि खसरा नम्बर 944 अपीलांट्स व

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

3. चूंकि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया, जो धारा 251–क प्रकरणों में सक्षम अधिकारी है, अतः इस स्तर पर किसी प्रकार की त्रुटि स्पष्ट नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट सहित पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जांच प्रतिवेदन एवं अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा अपने आराजी खसरा सख्या 948 व 949 तक पहुंच मार्ग के लिए रास्ते की मांग की गयी। भू–नक्शा व जांच प्रतिवेदन के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजीयात तक पहुंच के लिए कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। अर्थात रास्ता की मांग महज सुविधा को लेकर न होकर आत्यंतिक आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान् की सुनवाई उपरान्त तथा समक्ष अधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रार्थी की आराजीयात के लिए पहुंच मार्ग की आवश्यकता आत्यंतिक होने के आधार पर निकटतम दूरी के विकल्प को रास्ते के रूप में स्वीकृत किया गया। जो कि धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व नियम 69 के विधिक प्रावधानों के अनुरूप है।

5. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने एवं अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपीलाण्ट अपील खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाती है।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 72/2023 बअनवान श्रीमती गुलाबदेवी बनाम अमरसिंह वगैह में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2024 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner